GOVERNMENT OF INDIA
(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(GRIH MANTRALAYA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 1975.

G.S.R. 435.- In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Homoeopathic Practitioners (Amendment) Act, 1974 (Punjab Act 11 of 1974), as in force in the State of Punjab at the date of this notification, subject to the following modifications, namely:-

MODIFICATIONS

1. Section 2 shall be omitted.

2. In section 3,-

   (a) for the words "In the principal Act", the words, figures and brackets "In the Punjab Homoeopathic Practitioners Act, 1965, as in force in the Union territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act)" shall be substituted;

   (b) in sub-section (2) of section 16, which is directed to be substituted in the principal Act,-

      (i) for the words, brackets and figures "commencement of the Punjab Homoeopathic Practitioners (Amendment) Act, 1974", in both the places where they occur, the words, brackets and figures "extension of the Punjab Homoeopathic Practitioners (Amendment) Act, 1974, to the Union territory of Chandigarh" shall be substituted;

      (ii) for the words "such commencement" the words "such extension" shall be substituted;

      (iii) in the proviso and in the Explanation, for the words "State Government", the words "Central Government" shall be substituted.

3. In clause (h) of section 21-A, which is directed to be inserted in the principal Act by section 5, for the words "State Government", the words "Central Government" shall be substituted.

4. Section 6 shall be omitted.

ANNEXURE

THE PUNJAB HOMOEOPATHIC PRACTITIONERS (AMENDMENT) ACT, 1974 (PUNJAB ACT 11 OF 1974) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

An

ACT

to amend the Punjab Homoeopathic Practitioners Act, 1965.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Punjab Homoeopathic Practitioners (Amendment) Act, 1974.

2. [Omitted.].

Amendment of section 16 of Punjab Act 16 of 1965.

3. In the Punjab Homoeopathic Practitioners Act, 1965, as in force in the Union territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act), in section 16, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) Every person who has passed Matriculation or an equivalent examination of a recognised University or Board, and who, within a period of six months from the date of extension of the Punjab Homoeopathic Practitioners (Amendment) Act, 1974 to the Union territory of Chandigarh, proves to the satisfaction of the Registrar that immediately before such extension he was not less than twenty-five years of age and had been in continuous practice as a practitioner for a period of not less than five years, shall, on payment of the prescribed fees, be entitled to have his name entered in Part B of the Register subject to such conditions as the Council may, by regulations, specify:

Provided that a person who does not possess the educational qualifications referred to above shall also be registered by the Council with the prior approval of the Central Government, on payment of the prescribed fees and subject to the aforesaid conditions, if he, within the aforesaid

period of six months proves that immediately before the extension of the Punjab Homoeopathic Practitioners (Amendment) Act, 1974 to the Union territory of Chandigarh, he was not less than thirty five years of age and had been in continuous practice as a practitioner for a period of not less than fifteen years.

Explanation.- For the purposes of this section, the expression "recognised University or Board" means :-

(i) any University or Board incorporated by law in any of the States of India; or

(ii) in the case of a certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other University or Board which is declared by the Central Government to be a recognised University or Board for the purpose of this section.

Amendment of section 21 of Punjab Act 16 of 1965.

4. In the principal Act, in section 21, in sub-section (2), between the words "by" and "any of the institutions" the words "the Council or by" shall be inserted.

Insertion of new section in Punjab Act 16 of 1965.

5. In the principal Act, after section 21, the following section shall be inserted, namely:-

"21-A. Subject to the provisions of this Act, the powers and functions of the Council shall be :-

Powers and Functions of Council.

(a) to hold qualifying examinations, to appoint examiners and other staff to assist them, to fix their fees, remunerations and allowances and to declare the results of the examinations;

(b) to grant degrees, diplomas or certificates;

(c) to award stipends, scholarships, medals, prizes and other rewards;

(d) to prepare, publish and prescribe text books and to publish statements of prescribed courses of study;

(e) to found and maintain a library;

(f) to recommend scheme for post-graduate training and research in the Homoeopathic system;

(g) to appoint any Committee or Board of studies as may be necessary and to lay down their constitution, duties and functions;

(h) to exercise such other powers and perform such other functions as may be specified in this Act, or in the rules or regulations made thereunder or as the Central Government may by notification direct for carrying out the purposes of this Act.

Explanation.- The Committee or the Board of studies referred to in clause (g) may have such persons as their members as are not members of the Council."

6. [Omitted.]

[No.U-11015/1/75-(i)-UTL(129)]

sd/-

(L.R. SACHDEVA)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA.

(310)

भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3(i) में प्रकाशनार्थ, तारीख 5-4-75

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1975.

सा० का० नि० 435 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पंजाब होम्योपैथी व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का पंजाब अधिनियम 11) का, जो इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए, चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर स्वयंद्वारा विस्तार करती है, अर्थात् :-

उपान्तरण

1. धारा 2 का लोप किया जाएगा ।

2. धारा 3 में, -

(क) " मूल अधिनियम में ", शब्दों के स्थान पर " पंजाब होम्योपैथी व्यवसायी अधिनियम 1965 में, जो चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त है, (इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) " शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) धारा 16 की उपधारा (2) में, जो मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित किए जाने के लिए निर्देशित है, -

(i) " पंजाब होम्योपैथी व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम 1974 का प्रारम्भ " शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, दोनों स्थानों में जहां भी कहीं वे आते हैं, " पंजाब होम्योपैथी व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम 1974 का चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार " शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "ऐसे प्रारम्भ " शब्दों के स्थान पर, " ऐसा विस्तार " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(iii) परन्तुक में और स्पष्टीकरण में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

2

3. धारा 21-क के खण्ड (ज) में, जो धारा 5 के द्वारा मूल अधिनियम में अन्तः स्थापित किए जाने के लिए निदेशित है, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

4. धारा 6 को लोप किया जाएगा ।

कार्य सूची की मद

(गृह मंत्रालय द्वारा सुझाए गए)

स्पष्टीकारक ज्ञापन

विषय :- पंजाब होम्योपैथी व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम 1974 (1974 का पंजाब अधिनियम 11) का अधिसूचना द्वारा चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार ।

पंजाब होम्योपैथी व्यवसायी अधिनियम 1965 (1965 का पंजाब अधिनियम 16) वर्तमान में चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 28 के उपबन्धों के आधार पर प्रवृत्त है । पंजाब अधिनियम 1965 की धारा 16 की उपधारा (2) यह उपबन्ध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति परिषद (राज्य) के रजिस्ट्रार के समाधान तक यह साबित करता है कि उस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व वह 25 वर्ष की आयु से कम नहीं था और 5 वर्ष से अन्यून कालावधि के लिए होम्योपैथी के व्यवसायी के रूप में निरन्तर व्यवसाय करता रहा था, विहित फीस के संदाय पर, होम्योपैथी के व्यवसायी के रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने के लिए हकदार होगा । पंजाब में पंजाब होम्योपैथी व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम 1974 (1974 का पंजाब अधिनियम 11) में इस उपधारा को एक नई उपधारा से प्रतिस्थापित कर दिया है जो ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए अतिरिक्त अर्हता विहित करती है अर्थात्, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड की मैट्रिक या समतुल्य की उत्तीर्ण करना । तथापि, नई उपधारा का परन्तुक राज्य सरकार को, परिषद के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का भी रजिस्ट्रीकरण करने की अनुज्ञा देने के लिए सशक्त करता है जिसके पास उक्त शैक्षिक अर्हताएं नहीं है यदि वह 35 वर्ष से अन्यून आयु का है और 15 वर्ष से अन्यून वर्षों से निरन्तर

.....3

व्यवसाय कर रहा है । इन उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए काल सीमा संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से (अर्थात 14-8-74 से) छह मास विहित की गई है । उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया अन्य महत्वपूर्ण संशोधन परिषद की शक्तियों और कृत्य विनिर्दिष्ट करते हुए नई धारा 21-क का अन्तः स्थापन है ।

2. चंडीगढ़ के प्रशासन ने यह प्रस्ताव किया है कि पंजाब होम्योपैथी व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम 1974 का चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर उपयुक्त उपान्तरों सहित विस्तार किया जाना चाहिए ताकि उस अधिनियम द्वारा विचार में लाया गया संशोधन मूल अधिनियम में भी जो उस संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त है, निगमित किया जा सके । स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय इस प्रस्ताव से सहमत है । तदनुसार इस प्रस्ताव को स्वीकार करने और पंजाब होम्योपैथी व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम 1974 का पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 87 के अधीन अधिसूचना द्वारा चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है । प्रारूप अधिसूचना, जो विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा विधिविहित की गई है, संलग्न की जाती है (उपाबन्ध) ।

3. इस प्रस्ताव के लिए समिति के अनुमोदन की याचना की जाती है ।

उपाबन्ध

पंजाब होम्योपैथी व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम 1974 (1974 का पंजाब अधिनियम 11) जिसका चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है

पंजाब होम्योपैथी व्यवसायी अधिनियम 1965 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के 25वें वर्ष के पंजाब राज्य के विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम 1. इस अधिनियम का नाम पंजाब होम्योपैथी व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम 1974 है ।

2. निरसित

4

1965 के पंजाब अधिनियम 16 की धारा 16 का संशोधन

3. पंजाब होम्योपैथी व्यवसायी अधिनियम, 1965 में, (इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) धारा 16 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

" (2) प्रत्येक व्यक्ति जिसने मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड की मैट्रिक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करली है और जो, पंजाब होम्योपैथी व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम 1974 के चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार होने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर, रजिस्ट्रार के समाधान होने तक यह साबित करता है कि ऐसे विस्तार के ठीक पूर्व वह 25 वर्ष से अन्यून आयु का था और 5 वर्ष से अन्यून की कालावधि के लिए व्यवसायी के रूप में निरन्तर व्यवसाय कर रहा था, विहित फीस के संदाय पर, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो विनियम से परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, रजिस्टर के भाग (ख) में अपना नाम प्रविष्ट किए जाने के लिए हकदार होगा ;

परन्तु यह कि वह व्यक्ति भी जिसकी, ऊपर निर्दिष्ट तकनीकी अर्हताएं नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, विहित फीस के संदाय पर और उक्त शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, परिषद द्वारा रजिस्टर किया जाएगा यदि वह छह मास की उक्त कालावधि के भीतर साबित करता है कि पंजाब होम्योपैथी व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम 1974 के चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार होने के ठीक पूर्व वह 35 वर्ष से अन्यून आयु का था और 15 वर्ष से अन्यून कालावधि के लिए व्यवसायी के रूप में निरन्तर व्यवसाय कर रहा था ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनार्थ, "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड" पद से अभिप्रेत है :-

(i) भारत के किसी राज्य में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय या बोर्ड ; या

(ii) 15 अगस्त 1947 के पूर्व ली गई किसी परीक्षा के परिणाम पर प्रत्येक प्रमाणपत्र की दशा में, पंजाब, सिंध और ढाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय या कोई निकाय इस धारा के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या कोई घोषित किया गया है ।

1965 के पंजाब अधिनियम 16 की धारा 21 का संशोधन

4. मूल अधिनियम में, धारा 21 में, उपधारा (2) में, " से " और "संस्थाओं में से कोई " शब्दों के बीच, "परिषद या से" शब्द अन्त: स्थापित किए जाएंगे ।

1965 के पंजाब अधिनियम 16 में नई धारा का अन्त: स्थापन

5. मूल अधिनियम में, धारा 21 के पश्चात निम्नलिखित धारा अन्त: स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

" 21-क. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन करते हुए, परिषद की शक्तियां और कृत्य निम्न होंगे :-

परिषद की शक्तियां और कृत्य -

(क) अर्हक परीक्षाएं लेना, उन्हें संचालित करने के लिए परीक्षक और अन्य स्टाफ नियुक्त करना, उनकी फीस, पारिश्रमिक और भत्ते नियत करना और परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना ;

(ख) डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र अनुदत्त करना ;

(ग) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक, पारितोषिक और अन्य इनाम अधिनिर्णीत करना ।

(घ) विहित पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना और प्रकाशित करना और विहित पाठ्य अनुक्रमों के विवरण प्रकाशित करना ;

(ङ) पुस्तकालय स्थापित करना और उनका रखरखाव करना ;

(च) होम्योपैथी पद्धति में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए स्कीम की सिफारिश करना ;

(छ) अध्ययन के लिए कोई समिति या बोर्ड जो आवश्यक हो, नियुक्त करना और उनका गठन, कर्त्तव्य और कृत्य अधिकथित करना ;

(ज) ऐसी अन्य शक्तियां प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पूरा करना जो इस अधिनियम में या तद्धीन बनाए विनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट हो या जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा निदेश दे ।

स्पष्टीकरण - खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अध्ययन की समिति या बोर्ड में उनके सदस्यों के रूप में ऐसे व्यक्ति होंगे जो परिषद के सदस्य नहीं है।"

6. निरसित

(सं० - यू-11015। 1। 75-(i)-यू टी एल(129)

मु०रा०सचदेवा
(एम. आर. सचदेवा)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र (राजौरी गार्डन के समीप),
रिंग रोड, नई दिल्ली